दिनांक: 22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा जैविक खाद बनाने के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमें में फरार चल रहे 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी का विवरणः-

- **15 लाख रुपये नकद,**
- **01 लेपटाप डेल कम्पनी,**
- **03 चैकबुक,**
- **03 एटीएम कार्ड,**
- **02 आधार कार्ड,**
- **01 पैन कार्ड,**
- **01 डीएल**
- **01 मोहर ग्रीन एग्रो कम्पनी**
- **व 01 टाटा नेक्सऑन कार**
- **अन्य दस्तावेज बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2025 को वादी श्री गुरजीत सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम शिवपुर पोस्ट खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ साथ जैविक खाद का प्लाट लगाने के नाम पर करीब 10 लाख रुपये की धोखाधडी कर रूपये हड़प लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/336(3)/351(2)/61(2)(क) बीएनएस बनाम सुशील आदि 03 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में जैविक खाद बनाने के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमें में फरार चल रहे **02 वांछित शातिर अभियुक्तगण 1. भवर सिंह उर्फ सुरज पुत्र महीपाल सिंह निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 2.अमित धीमान पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम जन्धेडी डेरा पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 15 लाख रुपये नकद, 01 लैपटॉप (डेल कम्पनी), 03 चैकबुक, 03 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 डीएल, 01 मोहर (ग्रीन एग्रो कम्पनी की), अन्य दस्तावेज व 01 टाटा नेक्सऑन कार (रजि नं0 UP11CS1738) बरामद। **गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है, जिनके विरुद्ध जनपद सहारनपुर में धोखाधडी के विभिन्न मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तो व उनके सहयोगियों के बैक खातो व अन्य अवैध**

सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया हम लोगो ने अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2023 मे जय एग्रो बायो के नाम से एक कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमे खेती की जैविक कीटनाशक दवाई बेचते थे, जिसमें हम लोगो को थोडा बहुत फायदा हो जाता था। उसके बाद जनवरी 2024 मे हमने एक और कम्पनी जय एग्रो बायोसांइस प्राईवेट लिमिटेड के नाम से सहारनपुर में न्यू आवास विकास शाकुम्बरी विहार में खोली थी। जिसका रजिस्ट्रेशन सुशील व संजीव के नाम से कराया गया था। जिसके बाद हम लोगो ने एक स्कीम चलायी जिसमे हम लोगो को बताते थे कि आपके खेत मे हमारी कम्पनी ढाई लाख की एक यूनिट जैविक खाद की लगायेगी जिसमे 25 बेड खाद के खेत मे लगाये जायेगे तथा 25 महीने तक प्रत्येक महीने 20 हजार रुपये आपको मिलते रहेगे तथा खाद को हम खरीदेगे। ढाई लाख की एक यूनिट के हिसाब से किसान कितनी भी यूनिट लगवा सकते है। इस तरह से हम किसान/खेती करने वाले लोगो को प्रलोभन देकर फंसाते थे और उनसे जैविक खाद की यूनिट लगाने के नाम पर पैसे लेते थे और जब किसान हमसे पैसे मांगते थे तो हम उन्हे फर्जी कागजात बनाकर दे देते थे, एक दो किसानो के खेत में हम लोग कुछ बैड लगा देते थे जिससे लोगो में विश्वास बना रहे। पैसे हम जय एग्रो कम्पनी बायो साईन्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में तथा जो नकद पैसे देना चाहे उससे नकद पैसे भी लेते थे। हम किसानो व लोगो से प्रोजेक्ट के नाम पर 2.5 लाख से शुरु करके 70 से 80 लाख तक पैसे ले लेते थे और पैसो को आपस मे बाँट लेते थे और किसानो को बोल देते थे कि अभी प्रोजेक्ट मे कुछ दिक्कत आ रही है जो ज्यादा परेशान करता था उसे आगे की तिथि का चैक देकर शान्त कर देते है। जब हमने इस कम्पनी के नाम से काफी पैसा इकटठा कर लिया तो हम सभी ने मिलकर एक कम्पनी ग्रीन एग्रो आर्गेनिक मैन्युर व एक कम्पनी गोम फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड जलालाबाद व देहरादून मे तथा एक कम्पनी भंवर सिह ने A2Z के नाम से अकेले खोली है और इसी काम से हम लोगो से धोखाधडी कर पैसे ऐंठ लेते है और दूर निकल जाते है। हड़पे हुए रूपयों से हम लोगो ने सहारनपुर व अन्य जगह पर काफी सम्पत्ति खरीद ली है। आज जो नकद पैसा हम लोगो के पास से मिला है यह उन्ही घटनाओ से सम्बन्धित व्यक्तियो से लिया गया पैसा है जो हमारे पास बचा हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. भवर सिंह उर्फ सुरज पुत्र महीपाल सिंह निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. अमित धीमान पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

15 लाख रुपये नगद, 01 लेपटाप डेल कम्पनी, 03 चैकबुक, 03 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 डीएल, 01 मोहर ग्रीन एग्रो कम्पनी, अन्य दस्तावेज, 01 टाटा नेक्सऑन कार रजि नं0 UP11CS1738

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भंवर सिंह -

1. मु0अ0स0 38/25 धारा 420/406/504/506 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 258/19 धारा 420/406/504/506 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 73/25 धारा 316(2)/318(4)/352/351(2) थाना नानौता जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित धीमान -

1. मु0अ0स0 38/25 धारा 420/406/504/506 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 73/25 धारा 316(2)/318(4)/352/351(2) थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है0का0 839 कपिल राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. का0 604 आदेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक:22.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी/कारोबार करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 70 ग्राम अवैध स्मैक एवं स्मैक बिक्री से अर्जित किये गये करीब 01 लाख 50 हजार रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. अहसान पुत्र बहादुर निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड सहारनपुर व 2. सनव्वर पुत्र इरफान निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम रणदेवा रोड पर पर स्थित हाफिज इलियास पुत्र करीमुद्दीन के आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 70 ग्राम अवैध स्मैक एवं स्मैक बिक्री कर अर्जित किये गये कुल 01 लाख 50 हजार रूपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 313/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर संयुक्त रूप से बताया कि हम लोग अन्य कोई काम धंधा न होने के कारण गांव नवाजपुर के रहने वाले 02 व्यक्तियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ स्मैक का कारोबार करते हैं, उन्ही दोनों से यह माल लेकर बेच रहे थे, स्मैक बिक्री के डेढ लाख रूपये व 70 ग्राम अवैध स्मैक हम लोगों से बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अहसान पुत्र बहादुर निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड सहारनपुर
2. सनव्वर पुत्र इरफान निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 70 ग्राम अवैध स्मैक

- 01 लाख 50 हजार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 818 सचिन तोमर थाना नकुड़ सहारनपुर
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ सहारनपुर।
6. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
7. का0 11 सुनील कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर

दिनांक:22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी **अभियुक्त इकराम पुत्र इनाम तेली निवासी किरायेदार मकान सलीम सिराज कॉलोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 151/2010 व मु0अ0सं0-160/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना कोतवाली देहात (मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज/गैंगस्टर एक्ट कक्ष सं0-05 सहारनपुर) नियत तिथि 22.08.2025 में सिराज कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ते का नाम व पता –

इकराम पुत्र इनाम तेली निवासी किरायेदार मकान सलीम सिराज कॉलोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 414 गुलनवाज थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 2528 अनिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांक – 22.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मोहसीन पुत्र मजीद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को जंगल ग्राम पटनी से गिरफ्तार किया गया। जिसके **कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 201/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त मोहसीन एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनुर में लगभग आधा दर्जन मुकदमें दर्ज है**। अभियुक्त मोहसीन पुत्र मजीद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

मोहसीन पुत्र मजीद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी -

- 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त मोहसीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 325/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 230/22 धारा 379/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 269/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

4. मु0अ0सं0 174/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 325/15 धारा 380/411/457 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 57/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 517 वतन पवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक- 22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा फरार चल रहे 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान फरार चल रहे 01 वारण्टी **अभियुक्त अरशद उर्फ छोटा उर्फ बुम्बा पुत्र नानू निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 548/24 व मु0अ0सं0 196/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना में ग्राम बुड्ढाखेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

अरशद उर्फ छोटा उर्फ बुम्बा पुत्र नानू निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2534 राजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक – 22.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 32 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.06.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. मौ0 अकवर उर्फ शहनशाह पुत्र नजरी अहमद निवासी मौहल्ला कुरैशी छतरी वाला बाग थाना कोतवाली नगर जिला अमरोहा व 2. अनस पुत्र नसीम उर्फ कूडा निवासी मौ0 पठानपुरा लाम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को अम्बेहटा तिराहे के पास रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 32 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-605/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट मे पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मौ0 अकबर उर्फ शहनशाह पुत्र नजरी अहमद निवासी मौहल्ला कुरैशी छतरी वाला बाग थाना कोतवाली नगर जिला अमरोहा
2. अनस पुत्र नसीम उर्फ कूडा निवासी मौ0 पठानपुरा लाम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➢ 32 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री विमल कुमार सैनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री राकेश पंवार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

4- उ0नि0 श्री अमित नागर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5- हैका0 655 कमलेश यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6- है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7- का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8- का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 22.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 कान का टॉप्स (पीली धातु), 01 लॉकेट (पीली धातू) व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.08.2025 को वादी श्री रमेश कुमार उर्फ मोनू पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी मौ0 लवकुश नगर बाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से सोने/चाँदी के जेवर और कुछ रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 161/25 धारा-305 (A) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना में विवेचना से प्रकाश में आये 01 वांछित **अभियुक्त मुकर्रम पुत्र भूरा निवासी गली नं0-1 किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को अंसारी रोड एचडीएफसी बैंक के सामने वाली पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया पीली धातु के 01 कान का टोप्स व पीली धातू का 01 लोकेट (जिसपर ओम लिखा है) व 01 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त मुकर्रम उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 09/10.08.2025 की रात्रि को मैं तथा मेरे 02 अन्य साथी बेरीबाग आये थे तथा आपस में बात कर रहे थे कि जेबखर्चा खत्म हो गया है चलो कही जेब खर्चे के लिये कोई जुगाड करते है मै तथा मेरे साथी चोरी करने के उद्देश्य से घुमते घामते बाल्मिकी बस्ती सोहराब रोड रास्ते मे जा रहे थे एक घर बंद मिला थोडी देर खडे होकर इधर उधर देखा और बाउन्ड्री कूदकर अन्दर घुस गये। घर मे ढूडढांड करने लगे अलमारी मे से जेवर निकाले थे मेरे हिस्से में एक कान का टापस व ओम का एक लाकेट मेरे हिस्से में आया था बाकी सामान मेरे साथी लेकर चले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मुकर्रम पुत्र भूरा निवासी गली नं0 1 किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 का कान का टोप्स (पीली धातु)
- 01 लॉकेट जिसपर ओम लिखा है (पीली धातु)
- 01 मोटरसाइकिल

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 292/16 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 907 तरूण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 2017 चिराग थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 एनबीडब्लू वारण्टी **अभियुक्त कुलदीप पुत्र इन्द्रराज निवासी ग्राम करंजाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 97/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबन्द (मा0 न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सहारनपुर कोर्ट) द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारन्टी को ग्राम करंजाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप पुत्र इन्द्रराज निवासी ग्राम करंजाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री अमित नागर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- का0 2334 रवि कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांक 22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 02 साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.08.2025 को वादी श्री अमरीश छावड़ा पुत्र श्री श्यामलाल छावड़ा निवासी नुमाइस कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की साइकिल को न्यू छावड़ा मैडिकल स्टोर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 153/25 धारा- 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.08.2025 को वादी श्री विजय कुमार पुत्र जमनादास निवासी केशवनगर नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर केशवनगर नुमाईश कैम्प से वादी की साइकिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 155/25 धारा-303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान उपरोक्त मुकदमों साइकिल चोरी की घटनाओं में विवेचना से प्रकाश में आया **01 वांछित चोर/अभियुक्त शाहवेज पुत्र अफजाल निवासी नाज कालौनी न्यू एरा एकेडमी के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को नूरबस्ती चौराहे के पास खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 02 साइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बयान अभियुक्त – अभियुक्त शाहवेज उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं न्यू एरा एकेडमी के पास रहता हूँ। मैं कश्मीर में मजदूरी करता था परंतु अब काफी समय से घर पर रह रहा हूँ जिस कारण मुझे रूपये की तंगी चल रही है। मैं नशा करने का आदी हूँ और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी कर लेता हूँ। चोरी की साइकिलो के बारे में पूछने पर बताया कि तारीख मुझे याद नही पर इसी महीने की शुरूआत में मैने ये दोनों साइकिल चोरी की थी। आज मै इन चोरी की साइकिलों को बेचने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहवेज पुत्र अफजाल निवासी नाज कालौनी न्यू एरा एकेडमी के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

02 चोरी साइकिलें

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 907 तरूण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 1194 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार एवं अपहृता सकुशल बरामद किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंशुल पुत्र सिफत निवासी खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 604/2025 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त अंशुल पुत्र सिफत निवासी खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम खेडा मुगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंशुल पुत्र सिफत निवासी खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 प्रियंका थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1050 नितिन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 2008 ऋषभ थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक:22.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. बाबर पुत्र इलियास निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर व 2. अंकुश पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम कराली थाना नकुड जिला सहारनपुर** को पानी की टंकी मानकमऊ के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे से 11 ग्राम अवैध स्मैक** व अभियुक्त अंकुश उपरोक्त के कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर **थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम बाबर व अंकुश उपरोक्त व 01 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण बाबर व अंकुश उपरोक्त के** मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. बाबर पुत्र इलियास निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. अंकुश पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम कराली थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 21 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 138 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वांछित **अभियुक्त उमर पुत्र मुहम्मद असलूब उर्फ टीनू निवासी 62 फुटा चौक यामीन मस्जिद ईनाम कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 289/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट में दबनी कब्रिस्तान वाले रोड पर तालाब के कोने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उमर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि यह चाकू मैने काफी समय पहले एक चलते फिरते आदमी से लोगों को डराने के लिए खरीद लिया था। जिसका नाम पता मुझे मालूम नही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उमर पुत्र मुहम्मद असलूब उर्फ टीनू निवासी 62 फुटा चौक यामीन मस्जिद ईनाम कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध चाकू बरामद

अभियुक्त उमर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0113/25 धारा 336 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 165/25 धारा 109/318(4)/336(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 74/21 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 75/21 धारा 307 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 77/21 धारा 3/25/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 47/22 धारा 2/3 गिरोबन्द अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मूनाप्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 जिलाबदर अपराधी/**अभियुक्त इमरान पुत्र रिजवान निवासी चौक मस्जिद एकता कालोनी गली नं0- 6 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 2110/2024 कम्पयूटरीकृत वाद संख्या D202409600002110 सरकार बनाम इमरान पुत्र रिजवान अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण एक्ट (आदेशानुसार श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर) में एकता कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 288/25 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इमरान पुत्र रिजवान निवासी चौक मस्जिद एकता कालोनी गली नं0- 6 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 148/20 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कुतुबशेर
2- मु0अ0सं0 150/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर,
3- मु0अ0सं0 114/23 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

7. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. का0 1558 जयदीप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
10. का0 372 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड माध्यम से ठगी गई 26,000/- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2025 को वादिया कुमारी समरीन पुत्री साजिद निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड करके 36,000/- रुपये निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत संख्या 23107250109394 प्राप्त हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी धनराशि में से 33,708/-रूपये अलग अलग बैंको में होल्ड कराये गये थे। जिनमें से इंडसलैन्ड बैक मुजफ्फरनगर में होल्ड 26,000/- रूपये पीडिता समरीन उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी है। शेष धनराशि वापस कराने हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पीडिता समरीन के पिता साजिद द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
2. निरीक्षक कँवरपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. स0उ0नि0 (कम्प0आप0 ग्रेड-बी) अमित राजौरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. हैड का0 804 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः-22.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1.रामफूल पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम मन्धौर थाना सरसावा सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2972/24 मु0अ0स0 39/2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट नियत दिनांक 25.09.2025 थाना सरसावा **2.गौतम पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चतरसाली थाना सरसावा सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 -2932/2018 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम नियत दिनांक 23.09.25 थाना सरसावा को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रामफूल पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम मन्धौर थाना सरसावा सहारनपुर
2. गौतम पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चतरसाली थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 आकाश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
4. है0का0 845 तेजिन्द्र थाना सरसावा सहारनपुर
5. है0का0 361 मनोज थाना सरसावा सहारनपुर
6. का0 2466 रोहित थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांक 22.08.2025

यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर

–:प्रेस नोट:–

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 11.08.2025 से प्रचलित 15 दिवसीय विशेष अभियान "NO HELMET NO FUEL" के अन्तर्गत आज दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक यातायात सहारनपुर के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प पर दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध सघन चैकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पाया गया कि कतिपय वाहन चालक अपना हेलमेट सर पर न पहनकर स्कूटी की ढिग्गी, हेन्डल अथवा हाथ मे रखते है तथा मात्र पेट्रोल पम्प पर आने के दौरान हेलमेट को धारण करते है या किसी अन्य से हेलमेट लेकर पेट्रोल प्राप्त करते है, जो उचित नहीं है जिस हेतु यातायात पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प पर आने वाले समस्त ऐसे दो पहिया वाहन चालकों, जिनके द्वारा हेलमेट स्कूटी की ढिग्गी, हेन्डल अथवा हाथ मे रखा हुआ था, ऐसे 15 दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गयी एवं जो दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने हेतु आये थे, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया गया।

आमजन से अपील की जाती है कि दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करें एवं यातायात नियमों का पालन करें।

"आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व"

पुलिस अधीक्षक, यातायात
जनपद सहारनपुर।